न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० 58/18 तारीखरजू:– 13.09.2018

उनवान:– गुलाब देवी आदि बनाम भूपेन्द्र सिंह वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
13.09.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 15.10.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 924 रकवा 0.85 है0 ग्राम बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी को उक्त आराजी मे सायल के हिस्से मे मौके की यथा यथास्थिति के आदेश दिये जाकर काश्त मे विध्न आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.10.2018 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
15.10.18	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी [illegible] श्री रमेश चन्द सैनी Adv. [illegible] नं. 9,10 बावजूद सूचना उप[illegible] किया। अप्रार्थी [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी नं. 1 ता 8 के वकील ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस न करने का कथन कर जवाब पेश करना चाहा/ जवाब पेश करने दि० 17.12.18 को पेश हो।

3597-06
14/9/18

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकील अपपक्ष उप०। अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश नहीं किया। वकील अपपक्ष ने कथन किया कि दावा के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म फरमादिया जावे। वकील अपपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। अतः दिनांक 13.9.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner